FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

APPEALS

फैडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया

अपीलें

Hindi

अपीलें (निर्णयों पर पुनर्विचार)

दि फैडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्ट 1976 के अन्तर्गत अदालत इन मामलों में अपीलों की सुनवाई कर सकती है:

- फैडरल कोर्ट (संघीय अदालत) के एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय चाहे वह इंटरलोक्यूटरी (आंतरिक) निर्णय हो अथवा अन्तिम निर्णय;
- ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी और नार्दन टैरिटरी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की किसी अन्य टैरिटरी (क्षेत्र) की सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) के निर्णय;
- राज्यों, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी और नार्दन टैरिटरी की अदालतों के संघीय अधिकार क्षेत्रों सम्बंधी कुछ निर्णय (इनमें सुप्रीम कोर्ट की पूरी बैंच के निर्णय शामिल नहीं हैं);
- फैडरल (संघीय) मजिस्ट्रेट की अदालत के कुछ निर्णय ।

अदालत व्यक्तियों, प्राधिकारियों और अधिकरणों (अदालतों के अलावा) के निर्णयों के खिलाफ़ अपील की सुनवाई भी करती है । इन सभी प्रकार की अपीलों के लिए आवश्यक फॉर्मों और उनकी कार्यविधि के बारे में अधिक जानकारी आप किसी भी फैडरल कोर्ट की रजिस्ट्री से और इंटरनेट पर www.fedcourt.gov.au से प्राप्त कर सकते हैं ।

अपील की सुनवाई कौन करता है ?

आप्रवासन के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में फैडरल मजिस्ट्रेट के किसी भी निर्णय के खिलाफ़ सुनवाई अदालत की पूरी बैंच द्वारा की जाती है, सिवाय उस स्थिति में जब फैडरल कोर्ट का चीफ़ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) यह समझता है कि अपील का केवल एक न्यायाधीश द्वारा सुनवाई किया जाना उचित है ।

आप्रवासन के मामलों में फैडरल मजिस्ट्रेट के किसी भी निर्णय के खिलाफ़ सुनवाई अदालत का एक न्यायाधीश करता है, सिवाय उस स्थिति में जब फैडरल कोर्ट का कोई न्यायाधीश यह समझता है कि अपील का पूरी बैंच द्वारा सुनवाई किया जाना उचित है ।

एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ़ सुनवाई आम तौर पर तीन अथवा अधिक न्यायाधीशों की पूरी बैंच द्वारा की जाती है ।

अपीलें

आप अपील कैसे कर सकते हैं?

आपको फ़ॉर्म 55: नोटिस ऑफ अपील भरना होगा। इस फ़ार्म में आपको अपीलेंट (अपीलार्थी) के नाम से जाना जाता है क्योंकि आप अपील करने वाली पार्टी (पक्ष) हैं।

नोटिस ऑफ अपील की मूल प्रति और हर पार्टी के लिए एक प्रतिलिपि को फ़ेडरल कोर्ट में जमा करना होगा। इसके लिए आप कागज़ात अदालत की रजिस्ट्री में ला सकते हैं, उन्हें डाक या फैक्स या इंटरनेट के द्वारा भेज सकते हैं।

इसे फाईलिंग (अपील की अर्जी दायर करना) कहते हैं।

फाईलिंग के बारे में अधिक जानकारी रजिस्ट्री से और न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

यह सुनिश्चित करें कि आपने नोटिस ऑफ अपील की एक प्रतिलिपि अपने लिए रख ली है।

यदि आप किसी राज्य या टैरिटरी की अदालत के निर्णय के खिलाफ़ अपील कर रहे हैं तो नोटिस ऑफ अपील की एक प्रतिलिपि उस अदालत के रजिस्ट्रार, मास्टर अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में भी फाईल करनी होगी।

यदि नोटिस का सही फ़ॉर्म भरा गया है तो रजिस्ट्री का कर्मचारी नोटिस ऑफ अपील की मूल प्रति और अन्य प्रतिलिपियों पर मुहर लगा देगा।

आपको हर प्रतिवादी को अपने नोटिस ऑफ अपील की मुहर लगी एक प्रतिलिपि अपील करने के पाँच दिन के अंदर सर्व करने (देने) का इंतजाम करना होगा।

समय सीमा

इंटरलोक्यूटरी फैसला आम तौर पर अदालत की कार्यविधि से संबंधित होता है न कि मामले की योग्यता से। इंटरलोक्यूटरी फैसलों के खिलाफ़ अपील केवल अदालत की अनुमति से की जा सकती है। आपको फैडरल कोर्ट के एक न्यायाधीश के फैसले अथवा आदेश जारी करने के सात दिन के अंदर और अन्य सभी अदालतों जैसे कि फैडरल मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले अथवा आदेश जारी करने के 21 दिन के अंदर इसका आवेदन देना होगा। यदि अपील फाईल करने की अवधि समाप्त होने को है या समाप्त हो गयी है तो आप इसे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अन्तिम निर्णय के खिलाफ़ अपील आदेश जारी किए जाने के 21 दिन के अंदर फाईल करनी होगी। यदि अपील फाईल करने की अवधि समाप्त होने को है या समाप्त हो गयी है तो आप इसे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसमें खर्चा कितना होता है?

जब आप नोटिस ऑफ अपील फाईल करते हैं तो इसका शुल्क देना होता है। यह शुल्क अपील के वापिस लिए जाने अथवा उस पर आगे कार्रवाई न करने पर भी लौटाया नहीं जा सकता।

यदि आप यह शुल्क देने में असमर्थ हैं तो आप अदालत को इसे माफ़ करने के लिए पूछ सकते हैं।

कुछ लोगों को इस शुल्क से छूट दी गई है (उदाहरण के लिए यदि आपको लीगल एड (निःशुल्क कानूनी मदद) दी गई है अथवा आप हैल्थ केयर कार्ड धारी हैं)।

अदालत से शुल्क को माफ़ करने के लिए अथवा उससे छूट पाने के लिए आवेदन पत्र आप रजिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं।

यदि कोई मेरे पक्ष में दिए गए निर्णय के खिलाफ़ अपील करे तो?

यदि आपको नोटिस ऑफ अपील सर्व किया गया है तो अपील की कार्रवाई में आप रिस्पाँडेंट (प्रतिवादी) कहलाएंगे। आपको फ़ॉर्म १५ः नोटिस ऑफ एपीअरेंस भर कर फाईल करना होगा।

यदि आप भी मूल केस के निर्णय के किसी भाग के खिलाफ़ अपील करना चाहते हैं अथवा उसे बदलवाना चाहते हैं तो आपको एक रुपांतरित फ़ॉर्म 55: नोटिस ऑफ क्रॉस अपील भरना होगा।

अपील का नोटिस फाईल करने के बाद क्या होता है?

यदि अपील फैडरल मजिस्ट्रेट के निर्णय को छोड़ कर किसी अन्य निर्णय के खिलाफ़ है तो अक्सर रजिस्ट्री दोनों पक्षों की एक मीटिंग तय करती है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि मूल केस की कौन सी सामग्री अदालत की अपील बुक (अपील पुस्तिका) में प्रस्तुत की जाए।

यह ज़रुरी नहीं कि मूल केस की सुनवाई के सभी कागज़ात अपील के लिए सुसंगत हों। इस प्रक्रिया को सेटलिंग दी एपील बुक इंडेक्स कहते हैं।

यदि अपील आप्रवासन के अतिरिक्त अन्य किसी मामले में फैडरल मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ़ है तो रजिस्ट्री अपील की डायरेक्शनल हीयरिंग अथवा फाईनल हीयरिंग (दिशा-निर्देशक अथवा अन्तिम सुनवाई) की तिथि निर्धारित करेगी।

यदि अपील आप्रवासन के मामले में फैडरल मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ़ है तो रजिस्ट्री आपको अदालत द्वारा अपील की सुनवाई की तैयारी को लेकर अपील बुक, जमा किए जाने वाले लिखित निवेदनों और अन्य मामलों संबंधी

अदालत द्वारा दिए गए आदेशों अथवा निर्देशों के बारे में लिखेगी। रजिस्ट्री आपको अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि के बारे में सूचित करने के लिए फिर लिखेगी।

आपको अपने लिखित निवेदनों की रूपरेखा को भी अदालत में फाईल करना होगा और इसे प्रतिवादी को भी सर्व करना (देना) होगा। इस रूपरेखा में अपील के हर मुद्दे संबंधी आपके तर्क और जिन केसों के निर्णयों के बूते पर आप अपना केस प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी सूची जमा करनी होगी। आपके केस की सुनवाई से कम से कम पाँच कार्यदिवस पहले ऐसा करना होगा, हालाँकि न्यायाधीश इसके लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर सकता है।

सुनवाई

आपको अपने केस पर पहले तर्क प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद रिस्पाँडेंट को जवाब देने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपको रिस्पाँडेंट द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने का एक अवसर दिया जाएगा। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप अपील बुक की विषय सूची से परिचित होंगे और अदालत को उन उद्धरणों के बारे में बता सकेंगे जो आपके तर्क का समर्थन करते हैं।

यदि आप सफल होते हैं तो अदालतः

- पहली अदालत के निर्णय से अलग निर्णय दे सकती है; अथवा
- केस की दोबारा सुनवाई का आदेश दे सकती है।

सफल होने की कितनी उम्मीद है?

अपील के सफल होने के लिए आपको अदालत को यह विश्वास दिलाना होगा कि जिस न्यायाधीश अथवा फैडरल मजिस्ट्रेट ने मूल केस की सुनवाई की थी, उसने निर्णय देने में भूल की थी और वह भूल इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उस फैसले को बदलना आवश्यक है। भूल के महत्त्वपूर्ण होने के कुछ उदाहरण यह हैं कि न्यायाधीश अथवा फैडरल मजिस्ट्रेट जिस ने केस की पहले सुनवाई की थी, उसनेः

- गलत कानूनी नियम के अन्तर्गत फैसला किया था; अथवा
- किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित तथ्य अथवा तथ्यों के बारे में ऐसा निष्कर्ष निकाला था जो सबूतों द्वारा समर्थित नहीं था।

अपील सुनने वाली अदालतः

- ऐसे नए सबूतों और जानकारी पर विचार नहीं करती जो मूल केस में प्रस्तुत नहीं किए गए थे (सिवाय विशेष परिस्थितियों में);
- गवाहों को गवाही देने के लिए नहीं बुलाती;
- मूल केस में सभी पक्षों द्वारा जमा किए गए संगत कागज़ातों को पढ़ती है;
- मूल केस की कार्रवाई के संबंधित हिस्सों को, यदि वह उपलब्ध हैं, पढ़ती है;
- अपील के दोनों पक्षों के कानूनी विवादों को सुनती है।

कानूनी सलाह

नोटिस ऑफ अपील और नोटिस ऑफ क्रॉस अपील को बनाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि नोटिस ऑफ अपील बनाने में कानूनी सहायता ली जाए।

आप ऐसे संस्थानों से संपर्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो निःशुल्क अथवा कम खर्च कानूनी सलाह दे सकते हैं अथवा अदालत से मदद दिलवा सकते हैं अथवा अदालत की वेबसाईट www.fedcourt.gov.au पर देखें।

अदालत के कर्मचारी कानूनी सलाह नहीं दे सकते।

कानूनी खर्च कौन उठाता है?

यदि आप अपील हार जाते हैं तो आम तौर पर आपको दूसरे पक्ष को उसका कानूनी खर्च देने का आदेश दिया जाएगा।

यदि मैं अपनी अपील वापिस लेना चाहूँ तो?

आप अपनी अपील फ़ॉर्म 29: नोटिस ऑफ डिसकन्टीनुएंस फाईल करके वापिस ले सकते हैं। यदि अपील की सुनवाई अभी नहीं हुई है तो आपको नोटिस ऑफ डिसकन्टीनुएंस फाईल करने के लिए अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि सुनवाई शुरु हो गई है अथवा सुनवाई हो चुकी है पर अदालत ने अपना निर्णय नहीं दिया है तो आपको नोटिस ऑफ डिसकन्टीनुएंस फाईल करने के लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी।

यदि आप अपील को जारी नहीं रखते हैं तो आम तौर पर आपको दूसरे पक्ष को उसका कानूनी खर्च देने का आदेश दिया जाएगा ।

हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अपील करना

फैडरल कोर्ट की पूरी बैंच के निर्णय अथवा फैडरल मजिस्ट्रेट के निर्णय पर अपील सुनने वाले एक न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ़ हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार अपने आप लागू नहीं होता ।

आप हाई कोर्ट से अपील की अनुमति देने का आवेदन कर सकते हैं (इसे स्पेशल लीव कहते हैं), लेकिन अनुमति केवल विशेष मामलों में ही दी जाती है । यदि आप हाई कोर्ट से स्पेशल लीव के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन की एक प्रतिलिपि उस राज्य अथवा टेरिटरी की फैडरल कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी जिसके निर्णय के खिलाफ़ आप अपील करना चाहते हैं ।

आप फ़ॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

इस पुस्तिका में जिन फ़ॉर्मों का ज़िक्र किया गया है वह सभी फ़ॉर्म आप किसी भी फैडरल कोर्ट की रजिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं । वह आपको गाईड (मार्गदर्शक पुस्तिका) की एक प्रति भी दे सकते हैं जो आपको यह बताएगी कि उनमें से कुछ फ़ॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं ।

आप फ़ॉर्म और गाईड अदालत की वेबसाईट www.fedcourt.gov.au से भी प्राप्त कर सकते हैं ।

दुभाषिए

अदालत अपील की सुनवाई के समय एक दुभाषिए के वहाँ उपस्थित होने का इंतजाम भी कर सकती है । यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है तो अदालत की रजिस्ट्री को सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले संपर्क करें ।

यदि आप रजिस्ट्री से संपर्क नहीं करते तो वह दुभाषिए का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और आपके केस की सुनवाई में विलंब होगा ।

आप 131 450 पर फ़ोन करके टेलिफ़ोन दुभाषिए से भी बातचीत कर सकते हैं ।

फैडरल कोर्ट की रजिस्ट्री के कार्यालय

आस्ट्रेलियन कैपिटल टेरीटरी रजिस्ट्री
Commonwealth Law Courts Building
Childers Street
Canberra City ACT 2601
टेलीफ़ोन: (02) 6267 0566
फेक्स: (02) 6267 0625
टी टी वाई: (02) 6267 0537
ई–मेल: actman@fedcourt.gov.au

न्यू साउथ वेल्स रजिस्ट्री
Level 17, Law Courts Building
Queens Square
Sydney NSW 2000
टेलीफ़ोन: (02) 9230 8567
टी टी वाई: (02) 9230 8270
फेक्स: (02) 9230 8535
ई–मेल: nswdr@fedcourt.gov.au

नार्दन टेरीटरी रजिस्ट्री
Level 3, Supreme Court Building,
State Square, Darwin NT 0800
Postal address: PO Box 1806
DARWIN NT 0801
टेलीफ़ोन: (08) 8941 2333
फेक्स: (08) 8941 4941
टी टी वाई: (08) 8982 0838
रजिस्ट्री फाईलिंग फेक्स: (08) 8941 4941
ई–मेल: ntreg@fedcourt.gov.au

क्वीन्सलैंड रजिस्ट्री
Level 6, Commonwealth Law Courts
119 North Quay
Brisbane QLD 4000
डाक का पता: पी ओ बॉक्स P.O. Box 13084
George Street Post Shop
Brisbane QLD 4003
टेलीफ़ोन: (07) 3248 1100
फेक्स: (07) 3248 1260
टी टी वाई: (07) 3248 1272
ई–मेल: qldreg@fedcourt.gov.au

विक्टोरिया रजिस्ट्री
Commonwealth Law Courts
305 William Street
Melbourne VIC 3000
टेलीफ़ोन: (03) 8600 3333
फेक्स: (03) 8600 3281
टी टी वाई: (03) 9670 0320
ई–मेल: vicreg@fedcourt.gov.au

साउथ आस्ट्रेलिया रजिस्ट्री
Level 5 Commonwealth Law Courts
3 Angas Street Adelaide SA 5000
डाक का पता: GPO Box 1350
Adelaide SA 5001
टेलीफ़ोन: (08) 8219 1000
फेक्स: (08) 8219 1001
टी टी वाई: (08) 8219 1011
ई–मेल: sareg@fedcourt.gov.au

तस्मानिया रजिस्ट्री
Commonwealth Law Courts Building
39-41 Davey Street
Hobart TAS 7000
डाक का पता: GPO Box 903
HOBART TAS 7001
टेलीफ़ोन: (03) 6232 1715
फेक्स: (03) 6232 1701
टी टी वाई: (03) 6232 1865
ई–मेल: tasreg@fedcourt.gov.au

वैस्टर्न आस्ट्रेलिया रजिस्ट्री
Commonwealth Law Courts
1 Victoria Avenue
Perth WA 6000
डाक का पता: GPO Box A30
PERTH WA 6834
टेलीफ़ोन: (08) 9268 7100
फेक्स: (08) 9221 3261
टी टी वाई: (08) 9325 7053
ई–मेल: waregistry@fedcourt.gov.au

मुख्य रजिस्ट्री
Level 17, Law Courts Building
Queens Square
Sydney NSW 2000
टेलीफ़ोन: (02) 9230 8542
फेक्स: (02) 9223 7706
ई–मेल: query@fedcourt.gov.au

02/06